

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी० आर० नं०- 409 /2024

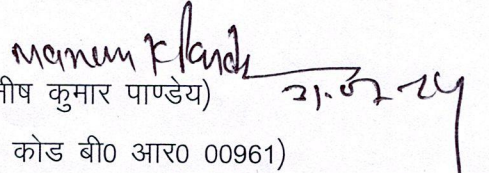
मेहंदिया थाना काण्ड संख्या 294/2023

31.07.2024

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक- 27.04.24 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्त अरविंद कुमार यादव के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 279, 336 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 59/24 दिनांक 27.04.2024 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के पैरा- 1, 3, 4, 5, 6, 15, 29 का अवलोकन किया। मामले में अभियुक्त अरविंद कुमार यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। अतः मामले में न्यायालय आरोप-पत्र में वर्णित अभियुक्त अरविंद कुमार यादव के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 279, 336 में प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः भा० द० वि० की धारा- 279, 336 में अभियुक्त **अरविंद कुमार यादव** के विरुद्ध **संज्ञान** लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्त के विरुद्ध समन निर्गत करे।

वाद दिनांक- 21.07.24 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,


(मनीष कुमार पाण्डेय)

(जे० ओ० कोड बी० आर० 00961)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।